रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256820
CG-DL-E-31082024-256820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946
No. 488]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 528(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ग ' पद) भर्ती नियम, 2009 को, जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-II और अवर श्रेणी लिपिक के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-II और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-II और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग ' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**-ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता-**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति-**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक।	36* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपये) में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित स्थापना, लेखा और उपापन संबंधी प्रक्रिया में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हों, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिसके पास समुचित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 :** आमेलन द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या कुल स्वीकृत पदों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	समूह - 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -अध्यक्ष; 2. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य; 3. अपर पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य।	लागू नहीं होता।

पदों का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. अवर श्रेणी लिपिक।	44* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रूपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्वतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य ; और (ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में तीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । (औसतन प्रतिशब्द पाँच की-डिप्रेशन के हिसाब से प्रति मिनट पैंतीस शब्द और प्रति मिनट तीस शब्द क्रमशः प्रति घंटे 10500 की-डिप्रेशन या प्रति घंटे 9000 की-डिप्रेशन के तत्समान माने जाते हैं)। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअहिर्त अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताए कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नही है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण :** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति या पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी; (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों। **टिप्पण-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह - 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -अध्यक्ष; 2. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य; 3. अपर पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य।	लागू नहीं होता।

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.आशुलिपिक श्रेणी-II	50* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य ; और	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

कौशल परीक्षण (ii) आशुलिपि गति-श्रुतलेख: दस मिनट @ अस्सी शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी या हिंदी); और (iii) प्रतिलेखन - कंप्यूटर पर पचास मिनट (अंग्रेजी) या पैंसठ मिनट (हिंदी); या (iv) प्रतिलेखन - मैनुअल टाइपराइटर पर पैंसठ मिनट (अंग्रेजी) या सत्तर मिनट (हिन्दी)। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताए कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नही है।		सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति या पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन आशुलिपिक काडर के ऐसे अधिकारी; (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों। **टिप्पण 1 :**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -अध्यक्ष; 2. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य; 3. अपर पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फ़ा. सं. 45021/14/2019-एनआईए]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk, Stenographer Grade-II and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk, Stenographer Grade-II and Lower Division Clerk in the National Investigation Agency, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Upper Division Clerk, Stenographer Grade-II and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**-These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**–The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**–No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk.	36* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Not applicable

Educational and other qualify-cations required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation; and (ii) Fifty per cent. by deputation/ absorption.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk of the National Investigation Agency in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in establishment, accounts and procurement related procedure conducted by the National Investigation Agency. **Note:** where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation / absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations; (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs.19900–63200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing appropriate educational qualifications and experience-12th class pass from a recognised Board. **Note 1.**-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.**-The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.**-The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years on the closing date of the receipt of applications. **Note 4.**-The number of posts to be filled by absorption shall not exceed twenty-five per cent. of the total sanctioned posts.	Group– 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : - 1. Deputy Inspector General, National Investigation Agency -Chairman; 2. Superintendent of Police, National Investigation Agency -Member; 3.Additional Superintendent of Police, National Investigation Agency -Member.	Not applicable.

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk.	44*(2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note. -** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: (i) 12th class pass from a recognised Board or equivalent; and (ii) A typing speed of thirty words per minute in English or twenty-five words per minute in Hindi on manual typewriter; or (iii) A typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer. (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 key dep-ressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). **Note 1.-**The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-**The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of	Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment through Staff Selection Commission, failing which by deputation.

candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, - (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-** The period of deputation including period of the deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years on the closing date of the receipt of applications.	Group – 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General, National Investigation Agency -Chairperson; 2. Superintendent of Police, National Investigation Agency -Member; 3. Additional Superintendent of Police, National Investigation Agency -Member.	Not applicable.

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
3.Stenographer Grade-II.	50* (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-**The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential qualifications: 12th class pass from a recognised Board or equivalent; and	Not applicable	Two years. **Note.-**There shall be a	By direct recruitment through Staff Selection Commission, failing which

Skill Test: (i) Stenography speed–Dictation: ten minutes @ eighty words per minute in (English or Hindi); and (ii) Transcription– fifty minutes (English) or sixty-five minutes(Hindi) on computer; or (iii) Transcription – sixty-five minutes (English) or seventy minutes (Hindi) on Manual Typewriter. **Note 1.-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Cates and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Stenographer's cadre under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, - (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years on the closing date of the receipt of applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, National Investigation Agency –Chairperson; 2. Superintendent of Police, National Investigation Agency -Member; 3. Additional Superintendent of Police, National Investigation Agency -Member.	Not applicable.

[F. No. 45021/14/2019-NIA]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA